न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृति सोमनाथ (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
190 / 2024	14.05.2024	27.05.2024

उनवान

1. अम्बा लाल पुत्र भज्जा बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
2. सोहन लाल पुत्र छोगा बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
3. भैरु लाल पुत्र उदय लाल बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
4. रतन लाल पुत्र भज्जा बैरवा, आयु वयस्क, निवासी सालरा, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवराज पुत्र रामेश्वर जाट, आयु वयस्क,
2. नारायण पुत्र लालु गाडरी, आयु वयस्क,
3. कल्याण पुत्र कालु बैरवा, आयु वयस्क,
4. जमना लाल पुत्र रामस्वरुप जाट, आयु वयस्क,
5. सुडा पुत्र उदा जाट, आयु वयस्क,
6. बद्री पुत्र गणेश बैरवा, आयु वयस्क,
7. दाखी पुत्री तेजु बैरवा, आयु वयस्क, ब्ध्व कन्हैया लाल बैरवा,
8. कान्हा पुत्र धन्ना बैरवा, आयु वयस्क,
9. धापु पत्नी रामस्वरुप जाट, आयु वयस्क,
10. बंशी पुत्र हजारी बैरवा, आयु वयस्क,
11. कोईली पुत्री गणेश चमार, आयु वयस्क,
12. गंगा देवी पत्नी स्व. बद्री चमार, आयु वयस्क,
13. डाली पुत्री गोपाल माता शांती, जाति चमार, आयु वयस्क,
14. तुलसी देवी पत्नी स्व. गणेश, जाति चमार, आयु वयस्क,
15. नारायण पुत्र बदी, जाति चमार, आयु वयस्क,
16. प्रेम देवी पत्नी प्रभु लाल, जाति चमार, आयु वयस्क,
17. पानी पुत्री गणेश, जाति चमार, आयु वयस्क,
18. भोलुराम पुत्र हजारी, जाति चमार, आयु वयस्क,
19. मदन पुत्र हजारी, जाति चमार, आयु वयस्क,
20. मोहन पुत्र कालु, जाति चमार, आयु वयस्क,
21. मोहनी पत्नी उदा, जाति चमार, आयु वयस्क,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

22. रतन लाल पुत्र भज्जा, जाति चमार, आयु वयस्क,
23. रामु बाई पत्नी हजारी, जाति चमार, आयु वयस्क,
24. लाली पत्नी धन्ना लाल, जाति चमार, आयु वयस्क,
25. संतोष पुत्री हजारी, जाति चमार, आयु वयस्क,
26. सुशीला पुत्री बद्री, जाति चमार, आयु वयस्क,
27. सीता पुत्री गोपाल माता शांति, जाति चमार, आयु वयस्क,
28. सोहन पुत्र छोगा, जाति चमार, आयु वयस्क,
29. लीला पुत्री भज्जा, जाति बैरवा, आयु वयस्क,
30. प्रेम पुत्री भज्जा, जाति बैरवा, आयु वयस्क, समस्त निवासियान–सालरा, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज.)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी विकास जायसवाल, अनुभव पाराशर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 30 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 185 की अभिलिखित आराजियात 2547, 2739, 2741, 2742, 2744, 2751, 2995/2547, 2996/2547, 2997/2547 कुल किता 09 कुल रकबा 3.3534 हैक्टेयर, खाता संख्या 265 की आराजी संख्या 3051/2782 रकबा 0.3288 है0 एवं खाता संख्या 266 की आराजी संख्या 2782, 2783, 2784 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7966 है0 एवं खाता संख्या 267 की आराजी संख्या 2551, 2999/2551 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1771 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 30 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 185 की अभिलिखित आराजियात 2547, 2739, 2741, 2742, 2744, 2751, 2995/2547, 2996/2547, 2997/2547 कुल किता 09 कुल रकबा 3.3534 हैक्टेयर, खाता संख्या 265 की आराजी संख्या 3051/2782 रकबा 0.3288 है0 एवं खाता संख्या 266 की आराजी संख्या 2782, 2783, 2784 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 267 की आराजी संख्या 2551, 2999/2551 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1771 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा